



उच्च न्यायालय इलाहाबाद

लखनऊ पीठ

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 4421 वर्ष 2026

भगवान देई चौहान

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ।

.....विपक्षी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : मंगल प्रसाद मिश्र, अब्दुल अलीम खान

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11

माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 393 वर्ष 2025 अंतर्गत धारा 319(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना मोहनलालगंज, जिला लखनऊ में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक केवल एक हाशियाई/प्रमाणक साक्षी (मार्गिनल विटनेस) है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि चूंकि आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है, अतः किसी भी साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि सह-अभियुक्त अगन को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या 2244 वर्ष 2026 में पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। अंत में यह कथन किया गया कि निकट भविष्य में विचारण के संपन्न होने की कोई संभावना नहीं है तथा आवेदक जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, दिनांक 30.01.2026 से जेल में निरुद्ध है। ऐसी परिस्थितियों में आवेदक जमानत का अधिकारी है। यह भी वचन दिया गया कि आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का कभी दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।
4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया, परंतु इस तथ्य से इनकार नहीं किया कि आवेदक हाशियाई साक्षी है तथा सह-अभियुक्त अगन को पूर्व में ही जमानत दी जा चुकी है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट के अंतर्वस्तु, सह-अभियुक्त के जमानत आदेश एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सह-अभियुक्त को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। ऐसी परिस्थितियों में इस न्यायालय का यह मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का अधिकारी है।

6. प्रार्थना-पत्र स्वीकृत किया जाता है।

7. आवेदक भगवान देई चौहान को प्रथम सूचना संख्या संख्या 393 वर्ष 2025 में संबंधित न्यायालय के संतोषप्रद व्यक्तिगत बंध-पत्र तथा समान धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक ऐसा कोई अपराध कारित नहीं करेगा, जो उस अपराध के समान हो जिसका उस पर आरोप है या जिसके कारित करने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रहे, और न ही साक्ष्य के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा।

(iii) आवेदक इस आशय का एक वचन-पत्र (अंडरटेकिंग) दाखिल करेगा कि जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन की दशा में, विचारण न्यायालय इस हेतु स्वतंत्र होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने तथा नियमानुसार आदेश पारित करे।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(iv) आवेदक नियत प्रत्येक तिथि पर या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 269 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु धारा 84 भारतीय न्याय संहिता के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, तथा आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 209 भारतीय न्याय संहिता के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(vi) आवेदक (क) प्रकरण की सुनवाई, (ख) आरोप विरचित करने, तथा (ग) धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत बयान दर्ज करने हेतु नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति साशय या बिना किसी पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय इस हेतु स्वतंत्र होगा कि वह ऐसे व्यतिक्रम को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने तथा उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करे।

8. उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत का दुरुपयोग माना जाएगा और विद्वान अवर न्यायालय जमानत रद्द करने के संबंध में प्रकरण में उपयुक्त आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

11 जून, 2026

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वी.के.एस.

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।